

प्रपत्र-5

**परियोजना का नाम:-** मांगुजी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-  
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का  
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

---

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।



कौनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊर्खीमठ (रुद्रप्रयाग)



संहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊर्खीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊर्खीमठ (रुद्रप्रयाग)

संख्या- २७२४ / १११(२) / १५-०५(म०म०घा०) / २०१५

प्रधक.

अरविन्द सिंह इयांकी  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: २६/ अप्रैल, 2015

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न ६३ कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्थीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्थीकृति हतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न ६३ कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औंचित्यपूर्ण पाई गई तागत २३२८.२१ लाख (२ सौ तीस करोड़ छायीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कौलम सं०-५ पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य २०१० लाख अर्थात् कुल ६३ कार्यों हतु २६.३० लाख (२ छ: लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हतु आपक निवत्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निर्मानित शर्तों के अधीन सहर्ष स्थीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्थीकृति के अध्यार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप सं पूर्ण किया जायगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४/ १११(२)/ १०-१७(सामान्य) / २००८ दिनांक १७ जून, २०१० की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्थीकृति हतु प्रस्तुत की जायगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ. रेट मे स्थीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्थीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्थीकृत नार्म है, स्थीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हतु स्थीकृत की जा रही धनराशि मे व्यवहार हो रही है तो उसका रामायाजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन मे जिन मदों हतु जो राशि स्थीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्थीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेष्योर्सेन्ट, रूल्स-२००८ एवं उक्त के विषय मे समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वजट मेमुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- २०४७ / XI.V-२१९(२००६) दिनांक ३०-०५-२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

(viii)- उक्तानुसार स्थीकृत आगणनों मे एन०पी०यी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटग आदि मदों के सम्बन्ध मे यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२-लेखाषीशक-५०५४ सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परियाय-०४ जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-सड़क/भयन/सेतु आदि हतु भूमि अधिग्रहण -००-२४ वृहत निर्माण

कार्य मे विभागीय आय-व्ययक मे प्रायिक्षणित निवत्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयस्थिता का सम्पूर्ण दायित्व संवधित अधिकारी अभियन्ता का हांगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सात मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम घरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विवरणित कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22-लेखांशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों -आयाजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 युहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

(3) यह आदेश अनुभाग-2 के अशासकीय संछ्या- ३८/XXVII/(2)/2015 दिन:- 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकान् यथोपरि।

भवदीप,

— (अरविन्द सिंह हयांकी )  
अपर सचिव

संछ्या- २७२४ / १११(२) / १५-०५(म०म०घ०) / २०१५ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमार्य मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निवेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिकारी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आइस/स.  
( ४०००० परिवर्ती )  
उप सचिव

P.C Attested

S/No  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
ऊखीमठ (लद्दप्रदेश)

16 क.स.  
19/9/15

-3-

शासनादेश संख्या:- २७२४/ ११(२)/ १५-०५(मु०म०ध००)/ २०१५ दिनांक २४/ अप्रैल, २०१५ का सताग्नक  
 (घनराशि लाख २ मे)  
 घातू वित्तीय वय  
 में व्यय हेतु  
 अवमुक्त घनराशि

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमीो में	टी०५०स०० द्वारा अनुमोदित लागत	(घनराशि लाख २ मे)
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- २७२/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमत के अन्तर्गत भस्ता से रिणकोट -कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- २७८/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम ऐसा (सेरा) के नीचे क्षेत्र याड पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में भण्ज-र्याड-मधकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में अन्द्रापुरी-गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेसा-टक्कली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में नारायणकोटी-कुरुड़ा-देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में बेहुबगड़-जगोत मोटर मार्ग से सोडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में क्यार्क-बरसूडी-भेरो वैण्ड से जसेडी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जाबरी-पाटियो-मुनासू-मोली-कलई-कोड़ा- घन्ननगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८१७/ २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर में अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम बजेटी-रवालदलयों अनु जाति वस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८४४/ २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर के विकास खण्ड तमगड़ा में चौमू से कलसीगा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

-4-

शासनादेश संख्या:- २७२४ / ११(२) / १५-०५(म०गो०घो०) / २०१५ दिनांक २४ अप्रैल, २०१५ का संलग्नक

11	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५२/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के जिला पंचायत क्षेत्र सुन्नोली के ग्राम बातोली में करीमपुर से ग्राम महिडियार तक मोटर मार्ग तथा स्तरन्त्रता सामाज सेनी श्री राम दल जाली के गांव को बनलेख मोटर मार्ग से मिलाने हेतु मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	21.78	0.10
12	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५३/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम पंचायत जाली में खीरी नामक स्थन पर ४० गी. पैदल तोह सेतु का निर्माण कार्य।	40 mt	5.58	0.10
13	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०३/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया ५.०० किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 1 No	94.75	0.10
14	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०२/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में मल्ला गढ़खेत से तल्ला गढ़खेत तक ४.०० कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	75.24	0.10
15	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०२/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में लाहौर नदी में ग्राम पंचायत नैकानी सुमाटिया, कालरी, बैगांव, छानिसेरा व दाङिमखेत के बीच झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.78	0.10
16	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०८/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में तुकरा से सैलकुना तल्ला गढ़खेत तक ८.०० कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00 + 02 Brg	151.88	0.10
17	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०४/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में घाघली नदी में ग्राम मवई, बजूला, अमस्यारी, घटी व मिलकोट के मध्य ८० गी. झूला पुल का निर्माण कार्य।	80 mt	8.98	0.10
18	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५७/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में टिटोली से दैगा तक २.०० कि.मी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 35 mt	37.62	0.10
19	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०६/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम अमस्यारी के टिटोली तोक के ग्राम पंचायत दैगा तक ५.०० कि.मी. मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	94.05	0.10
20	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०३/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में तुकरा से सैलकुना- गढ़खेत मोटर मार्ग का १५.०० किमी. नवनिर्माण का कार्य।	15.00	282.15	0.10
21	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८०४/२०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गरुड बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटगती से घगोली, मालूणत-ओखल्सों १०.०० किमी० मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	148.50	0.10

-5-

शासनादेश संख्या- २७२४/ ११(२)/ १५-०५(म०८०८०)/ २०१६ दिनांक २४ अप्रैल, २०१५ का संलग्नक।

22	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८५४/ २०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में बागेश्वर-त्वासा (तिक्कट) पैदल को बागेश्वर नगर से लगे भागीरथी गंगा से धरमधर तक हल्का वाहन मार्ग के रूप में विकसित करने का कार्य।	50.00	412.50	0.10	
23	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-३२१/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में हल्की-गवाणा तल्ला-देवलदेव-काल्पड़ी स्टेटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	112.64	0.10	
24	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-३२२/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में घंडियाल- कनोठखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.18	0.10	
25	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-३२७/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में चौबट्टाखाल दमदेवल मोटर मार्ग से ग्राम खन्दपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	20.12	0.10	
26	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-१०९/ २०१६ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में हरतोला मुख्य मोटर मार्ग से मौं कोकिला देवी बंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10	
27	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-११०/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में तांहाली डोडीधूरा मोटर मार्ग रा.इ. का, से अटावृत्ता, आटाखेन, करछिया, पातली से रूपसिंह धूरा मोटर मार्ग कतक मोटर मार्ग का नया निर्माण कार्य।	8.00	46.80	0.10	
28	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-२३३/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में भुजान-बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी १ में कुजमढ़ नदी पर स्टील पुल का निर्माण।	75 mt	8.25	0.10	
29	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-१००/ २०१६ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में नैनीताल-भूधूखान सौँड मोटर मार्ग के किमी ०-७ में नरेश्वर गहरे पर २४ मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	24 mt	1.68	0.10	
30	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-१०१/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल न पृष्ठ तल्ला बगड हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारीकरण / उमरीकरण का कार्य।	6.00	32.70	0.10	
31	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८३५/ २०१४ के अन्तर्गत जनपद लद्दप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-लद्दप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी में डोली से ऊंचा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	7.00	63.70	0.10	
32	माठ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-४०२/ २०१५ के अन्तर्गत जनपद घमोली के विधान सभा क्षेत्र-धाराली के विकास खण्ड धाट में नन्दप्रयाग-मेहरधाटी-संकड़-धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9.00	125.55	0.10	

-8-

शासनादेश संख्या—२५३४/१११(२)/१५-०५(गोमोधो)।/२०१५ दिनांक १५/अप्रैल, २०१५ का सलानक

59	गोमुखमंडी घोषणा संख्या-४४२/२०१५ के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत जोलधर से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
60	गोमुखमंडी घोषणा संख्या-४५०/२०१५ के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत खस्ता-घरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
61	गोमुखमंडी घोषणा संख्या-७४४/२०१४ के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर से जखिपड़ा मॉन्टर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
62	गोमुखमंडी घोषणा संख्या-६२५/२०१४ के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित अन्तर्गत सभा मण्डलूताला में यासातधर ए सड़कों का निर्माण कार्य।		1.92	0.10
63	गोमुखमंडी घोषणा संख्या-६००/२०१४ के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित अन्तर्गत राय नाले पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
<b>कुल</b>		<b>311.00 + 16 Brg</b>	<b>3726.21</b>	<b>6.30</b>

( कुल २ छ. लाख लास हजार मात्र )

( ए०एस० पांगती )  
उग सचिव

P.C Arrested

सहायक अभियन्ता  
निर्माण रण्ड लो० नि० वि०  
ऊखीमठ ( लद्प्रयाग )